मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 29 जुलाई, 2003 (श्रावण 7, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री -

(i) रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2000-2001 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, एवं

(ii) मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा -21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ.22-196-2002-(आठ), दिनांक 7 मार्च, 2003

(ख) क्रमांक एफ-22-54-2002-आठ, दिनांक 20 मार्च, 2003

(ग) क्रमांक एफ-22-110-2002-आठ, दिनांक 26 मार्च, 2003

(घ) क्रमांक एफ-4-5-95-आठ, दिनांक 18 जून, 2003

(ङ) क्रमांक एफ.22-301-2001-आठ, दिनांक 28 फरवरी, 2003, एवं

(च) क्रमांक एफ.22-254-2001-आठ, दिनांक 30 अप्रैल, 2003,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष (सिविल) खंड-1 तथा भाग-2 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, पी.सी. शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित राजधानी परियोजना द्वारा संचालित प्रकाश तरण पुष्कर में एक युवक की डूबने से मौत होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी को समाप्त किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2003-2004 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 2003-2004 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री, वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अब तक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) विधेयक, 2003 (क्रमांक 23 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1घंटा 30 मि.

प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैल रहे संक्रामक रोग एवं उनसे हो रही मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह तथा श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 28 जुलाई, 2003